प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.09.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19.45बजे

मुख्य समाचार

- प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ।
- विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित– भारतीय स्टांप विधेयक पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में हुई तीखी बहस।
- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न– सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा–विपक्ष का आरोप अफरा तफरी वाला रहा सत्र का महौल।
  और
- दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न–उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल सरंक्षण को जन आंदोलन बनाने की बताई जरूरत।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने और नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की बैठक में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं से भी इनपुट लिया जाएगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पांच प्रमुख नदियां हैं, जिनकी ड्रेजिंग और डी–लिस्टिंग व्यवस्थित तरीके से की जाए तो राज्य को दो से तीन हजार करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नदी में जमा सामग्री हटाने के लिए ड्रेजिंग कराने का सुझाव दिया था। इसके बाद उद्योग विभाग ने ड्रेजिंग की अनुमति दी लेकिन माइनिंग की अनुमति नहीं मिली और अगली बरसात में काफी सामग्री बह गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रेजिंग के दौरान रॉयल्टी न लेने का सुझाव दिया, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि रॉयल्टी उसका अधिकार है।

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग का काम वन निगम के जरिए किया जा रहा है और इससे राज्य को सौ से 2 सौ करोड़ रुपये तक की आय हो रही है। इससे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि ड्रेजिंग और माइनिंग अलग–अलग प्रक्रियाएं हैं और ड्रेजिंग के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी मिलने की है। चौहान ने बताया कि पूरे हिमाचल में करीब 3 सौ 24 साइट हैं, जिनमें अभी तक केवल पांच–छह जगहों पर वन मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विक्रम ठाकुर, और राकेश जम्वाल ने भी इसी मामले पर अनुपूरक सवाल पूछे और ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री के मामले में घोटाले की आशंका जताई। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में माइनिंग से रॉयल्टी की आय वर्ष 2024–25 में 3 सौ 56 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछली सरकार के समय यह करीब 2 सौ 40 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीति के बाद राजस्व में वृद्धि हुई है।

पैंशन लाभ

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीपराज के पैंशनरों से जुड़े मूल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है

`

और लंबित वेतन, पेंशन तथा दूसरे वित्तीय लाभों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों को करीब 2 हज़ार 2 सौ 29 करोड़ रुपये के लंबित वेतन और पेंशन संबंधी एरियर का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान कर दिया गया है और 58 से 67 वर्ष की आयु के उन कर्मचारियों के लंबित लाभों का भी भुगतान किया गया है, जो एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश पर करीब 76 हज़ार 7 सौ करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लगातार काम कर रही है।

कैग रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट ने सरकार के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी। इसमें वर्ष 2024–25 में राज्य का राजस्व घाटा 6 हजार 8 सौ 4 करोड़ 61 लाख़ रुपये और राजकोषीय घाटा 12 हजार 6 सौ 11 करोड़ 5 लाख़ रुपये रहा। दोनों ही निर्धारित सीमा से अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 86 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी पर खर्च हो गया। केवल वेतन और पेंशन पर ही करीब 70 प्रतिशत राजस्व खर्च हुआ। कैग रिपोर्ट के अनुसार राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2 दशमलव 9–4 प्रतिशत रहा, जबकि राजकोषीय घाटा का 5 दशमलव 4–4 प्रतिशत दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज और सीमित पूंजीगत निवेश पर भी सवाल उठाए हैं और हिमाचल के तेजी से बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई गई है।

विधेयक

प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन में चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक, 2026, भारतीय स्टांप हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक, 2026, युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक, 2026 शामिल हैं। भारतीय स्टांप विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जबकि युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक और सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक बिना चर्चा के पारित किए गए। इन पारित विधेयकों को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सत्र सम्पन्न

शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा का दस दिवसीय मानसून सत्र आज राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित ये सत्र कुल 45 घंटे 30 मिनट तक चला और सदन की प्रोडक्टिविटी 91 प्रतिशत रही। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि अब विधानसभा की तरफ से विधायकों की गाड़ी में आधिकारिक झंडी लगेगी।

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई अहम बिल पारित हुए।

दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जल्दबाजी में थी और सदन का माहौल अफरा तफरी वाला रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष ने मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को सदन में उठाया है। उन्होंने कहा चार साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ––बाइट ...जयराम ठाकुर –

मुकेश अग्निहोत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में देश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन तथा जल क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के समापन सत्र में उप–मुख्यमंत्री मुकेश

`

अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ करना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक व सतत प्रबंधन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़कर व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। इस बीच उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल से जुड़े प्रमुख परिवहन मुद्दे उठाए। उन्होंने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य वैद्यता अवधि को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।

प्रधान विरोध

16वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को मिलने वाली धनराशि जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के प्रदेश सरकार के आदेशों का सिरमौर जिला के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। पांवटा साहिब विकासखंड की 22 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आज प्रधान संघ के बैनर तले नाहन में उपायुक्त के साथ बैठक कर चर्चा की। प्रधान संघ पाँवटा साहिब के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि का पैसा जन शक्ति विभाग को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है।

प्रधान संघ ने मानसून की बारिश के दौरान पंचायतों में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिला उपायुक्त से बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ।
- विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित– भारतीय स्टांप विधेयक पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में हुई तीखी बहस।
- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न– सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा–विपक्ष का आरोप अफरा तफरी वाला रहा सत्र का महौल।
- दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न–उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल सरंक्षण को जन आंदोलन बनाने की बताई जरूरत।

————————————————————————

`